समक्ष

<u>श्री टेक चंद माननीय न्यायमूर्ति</u>

रशपाल सिंह, -याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय,-प्रतिवादी

सिविल रिट संख्या 1968 की 95

27 मार्च 1968

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर (1966)–खंड. I भाग डी(ii), विनियम 13(बी) - अभ्यर्थी को "किसी अन्य अभ्यर्थी" से नहीं बल्कि किसी अन्य स्रोत से सहायता प्राप्त हो रही है - क्या विनियम के तहत दोषी है - विश्वविद्यालय परीक्षा में सहायता प्राप्त कर रहा है - क्या इसमें प्रश्नों के उत्तर सुनना शामिल है -"नक़ल करना" और "सहायता प्राप्त करना"-के बीच अंतर।

ये निर्धारित किया गया कि, पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर (1966) का विनियम 13(बी) किसी अन्य उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य स्रोत से सहायता प्राप्त करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। पर्यवेक्षी कर्मचारियों या किसी बाहरी एजेंसी से प्राप्त सहायता प्रावधान के दायरे में नहीं आती है और यह एक गंभीर खामी है। विनियम 13(बी) की भाषा का उपयोग इसके दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह विनियम एक दंडात्मक उपाय है और इसका कड़ाई से पालन

किया जाना चाहिए। इस विनियम के तहत किसी उम्मीदवार को कोई सजा नहीं दी जा सकती, जिसने किसी उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य स्रोत से सहायता प्राप्त की हो।

ये निर्धारित किया गया कि, सहायता प्राप्त करना किसी प्रयास या प्रयास के अनुसरण में सचेत और स्वैच्छिक कार्य है। यदि एक परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी से पर्याप्त जोर से उत्तर बोलता है तो कोई भी परीक्षार्थी उत्तर सुन सकता है। जो लोग उत्तर नहीं पूछते उन्हें विनियम 13(बी) के तहत दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे श्रावण सीमा के भीतर होने के कारण उत्तर सुनने से बच नहीं सकते। कोई व्यक्ति स्वयं को बात करने या किसी अन्य प्रकार से संचार करने से रोक सकता है, क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्य हैं और इच्छानुसार होने में सक्षम हैं। लेकिन यह सुनने की क्रियाओं के लिए सच नहीं है जो सहज और इसलिए अनैच्छिक हैं।

ये निर्धारित किया गया कि, "नकल करना" "सहायता प्राप्त करना" से भिन्न है। "नकल करना" शब्द का अर्थ है किसी अन्य पेपर, पुस्तक आदि से प्रतिलेखन करना। इसका उपयोग " अनुकरण करना " या " प्रतिलेखन करना" के अर्थ में भी किया जाता है। एक मूल होना चाहिए जिससे प्रतिलिपि या प्रतिलेखन बनाया या डुप्लिकेट किया गया हो। हालाँकि, यदि प्रतिलिपि सटीक नहीं है या उसमें त्रुटियाँ हैं, तो भी यह प्रतिलेख ही रहेगा। किसी अभ्यर्थी को 'नकल' करते हुए पाए जाने की स्थिति में वह दोषी है, चाहे वह किसी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका से या किसी पेपर, पुस्तक या नोट से नकल करता हो, लेकिन 'सहायता प्राप्त करने'

के मामले में, विनियम इसे दूसरे उम्मीदवार से सहायता प्राप्त करने तक ही सीमित रखता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को दो साल के लिए अयोग्य ठहराने वाले प्रतिवादी के आदेशों को रद्द करते हुए सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश में एक रिट जारी की जाए।

याचिकाकर्ता के वकील जी. पी. जैन और जी. सी. गर्ग।

प्रतिवादी की ओर से जे.एस. वासु, वरिष्ठ अधिवक्ता और एच.एस. साहनी, अधिवक्ता।

आदेश

श्री टेक चंद माननीय न्यायमूर्ति-

यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रशपाल सिंह द्वारा दायर की गयी है, जो कि उच्च माध्यमिक परीक्षा (भाग I) के परीक्षार्थी थे, जो उन्होंने मार्च 1967 में दी थी। प्रतिवादी पंजाब विश्वविद्यालय है। याचिकाकर्ता का रोल नंबर 150413 था और उसका परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, डेरा बाबा नानक था। जिस दिन उन्होंने परीक्षा दी, परिशिष्ट सी के अनुसार एक ही हॉल में 98 उम्मीदवार बैठे थे। याचिकाकर्ता की सीट तीसरी पंक्ति में आखिरी

थी। रोल नंबर 150414 और 150415 वाले उम्मीदवार चौथी पंक्ति में पहली दो सीटों पर बैठे थे। तीसरी और चौथी पंक्ति में 16-16 सीटें थीं।

पठानकोट के समाचार पत्र 'जवाहर ज्योति' में श्री पियारा लाई चोपड़ा द्वारा एक शिकायत प्रकाशित की गई थी कि केंद्र अधीक्षक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के अन्य सदस्यों की सक्रिय मिलीभगत से उम्मीदवारों द्वारा, मार्च 1967 के महीने में डेरा बाबा नानक परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई मैट्रिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा मैं अनुचित साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। विश्वविद्यालय ने प्रधान परीक्षकों से अनुरोध किया कि वे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की विशेष रूप से जांच करें और यदि उन्हें अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करने का कोई सबूत मिले तो वे अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट भेजें। गणित के पेपर 'ए' में मुख्य परीक्षक को याचिकाकर्ता पर अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का संदेह था। इस अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका, अन्य अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं और मुख्य परीक्षक की रिपोर्ट को पंजाब विश्वविद्यालय गणित विभाग के रीडर श्री आर.डी. स्याल की राय के लिए भेजा गया। उनकी रिपोर्ट थी-

“रोल नंबर 150413,150414 और 150415 में 1(ए) का सामान्य उत्तर है।"

याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षक और श्री आर.डी. स्याल की रिपोर्टों की प्रतियां प्रदान की गईं और उन्हें 18 अगस्त, 1967 को डेरा बाबा नानक में एक जांच में भाग लेने के लिए कहा गया, ताकि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के

आलोक में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। वह पूछताछ में शामिल हुए, जहां उन्हें एक प्रश्नावली दी गई, जिसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया और खुद को दोषी नहीं बताया। उनसे पूछा गया कि क्या वह स्थायी समिति के सामने पेश होना चाहेंगे लेकिन उन्होंने ना में जवाब दिया। तीन सदस्यों वाली स्थायी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के विनियम 13 (बी) का उल्लंघन करने का दोषी था। समिति ने कहा:

> "रोल नंबर 150413 की उत्तर पुस्तिका की गहन जांच से पता चलता है कि प्रश्न संख्या 1 (ए) का प्रयास करते समय उसने जबरदस्त गलतियाँ की हैं और इन गलतियों के बावजूद वह सही उत्तर तक पहुँच गया है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने 505 100 और 9X25 505 10025 9 25 लिख दिया है और 36 3535 1 63 की जगह 30 3535 1 63 लिख दिया है। वह प्रश्न हल करते-करते कुछ कदम भी चूक गया है फिर भी वह सही उत्तर पर पहुँच जाता है। हालाँकि, प्रश्न संख्या 1(ए) का उनका प्रयास रोल नंबर 150414 या 150415 से मेल नहीं खाता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस उम्मीदवार ने प्रश्न संख्या 1(ए) का अपना उत्तर कहीं से कॉपी किया है। मैं

विशेषज्ञ की इस बात से सहमत हूं कि अभ्यर्थी ने नकल की है। इसलिए उम्मीदवार विनियम 13(बी) का उल्लंघन करने का दोषी है।"

विनियम 13(बी) को विस्तारक में नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"यदि कोई उत्तर-पुस्तिका दर्शाती है, या अन्यथा यह साबित हो जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी अन्य अभ्यर्थी से सहायता प्राप्त की है या उसे सहायता दी है या यदि वह नकल करते हुए पाया जाता है या किसी पेपर, पुस्तक, या नोट से नकल की जाती है, या किसी अन्य अभ्यर्थी को अपनी उत्तर-पुस्तिका से नकल करने की अनुमति दी जाती है या अपने कपड़ों या शरीर या टेबल या डेस्क या सेट-स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्लाइड नियम आदि जैसे उपकरणों (इंजीनियरिंग परीक्षाओं में अनुमति दी गई) के किसी भी हिस्से पर लिखे गए नोट्स के साथ परीक्षा देने के लिए, या उसके पास **पाए गए किसी भी नोट या कागज को निगलने या नष्ट करने, या नोट्स या परीक्षा के घंटों के दौरान अपनी उत्तर-पुस्तिका सौंपने से पहले परीक्षा हॉल के बाहर उसे उपस्थित होने किताबों से परामर्श करने का दोषी है, उसे,** जिसमें वह दोषी पाया जाता है समेत दो साल के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए **अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा**, यदि वह वर्ष में एक बार आयोजित परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार है, या जिसमें वह दोषी पाया जाता है समेत

चार परीक्षाओं के लिए, यदि वह वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए उम्मीदवार है।"

विनियम 13(ए) और 13(सी) निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के मामले पर लागू नहीं होते हैं।

जहां तक इस मामले के तथ्यों पर लागू है, विनियम 13(बी) का प्रासंगिक भाग है: -

"यदि कोई उत्तर-पुस्तिका यह दर्शाती है कि अभ्यर्थी के पास है

किसी अन्य उम्मीदवार से सहायता प्राप्त करने पर उसे दो साल के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 1(ए) जिसके संबंध में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अनुचित साधनों का सहारा लिया है, बीजगणित पेपर से था और उसे एक समीकरण को सरल बनाने की आवश्यकता थी। तीन चरणों का प्रयास करने के बाद, उन्होंने अपना उत्तर '2' लिखा। ऐसा कहा जाता है कि निष्कर्ष सही है लेकिन कई और कदम उठाए जाने थे और जो कदम उठाए गए थे उससे वह तुरंत उत्तर पर नहीं पहुंच सका। उनके उत्तर से यह निष्कर्ष निकला कि वह इस तक अपने द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप नहीं पहुंचे थे बल्कि उन्होंने यह उत्तर कहीं से कॉपी किया था। समाचार पत्र में इस आशय की एक रिपोर्ट से विश्वविद्यालय

को संदेह हुआ कि पर्यवेक्षी कर्मचारी उम्मीदवारों को अनुचित साधनों में शामिल होने में सक्षम बना रहे थे और यह केंद्र के अधीक्षक और उनके अन्य सदस्यों की सक्रिय मिलीभगत से किया जा रहा था।

रिकॉर्ड पर यह नहीं दर्शाया गया है कि उसने इसे किसी विशेष अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका अथवा किसी नोट-बुक से नकल किया है। जाहिर है कि उत्तर उन अभ्यर्थियों से कॉपी नहीं किया जा सका, जिनका रोल नंबर 150414 और 150415 था, क्योंकि वे चौथी पंक्ति के सबसे अंतिम छोर पर बैठे थे। स्थायी समिति ने जो देखा वह यह है कि "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस उम्मीदवार ने प्रश्न संख्या 1 (ए) का अपना उत्तर कहीं से कॉपी किया है" और इसलिए, उसे विनियम 13 (बी) का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है। अगर इस निष्कर्ष को सही माना जाए, यह विनियम 13(बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि याचिकाकर्ता को किसी पेपर, पुस्तक या नोट या किसी अन्य उम्मीदवार की उत्तर-पुस्तिका से नकल करते हुए या नकल करते हुए पाया गया था। उनके जवाब से उनके खिलाफ एक निष्कर्ष निकाला गया है और इसे उनके अपराध के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य माना गया है। लेकिन विनियम 13(बी) के तहत यह भी दोष होगा यदि "दूसरे उम्मीदवार से मदद मिली।" लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। विनियम 13(बी) में यह एक महत्वपूर्ण चूक है कि यह किसी अन्य उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य स्रोत से सहायता प्राप्त करने पर हमला नहीं करता है। पर्यवेक्षी कर्मचारी या किसी बाहरी

एजेंसी से प्राप्त सहायता प्रावधान के दायरे में नहीं है और यह एक गंभीर खामी है। विनियम 13(बी) की भाषा का उपयोग इसके दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। स्थायी समिति या इस न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह विनियम 13(बी) का अर्थ इस तरह से लगाए कि, "अन्य उम्मीदवार" शब्द को "कहीं" या "कहीं भी" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके। इस न्यायालय का कार्य कानून को लागू करने के लिए उसकी व्याख्या करना है। यह कमियों को पूरा करके और इस प्रकार कानून बनाकर अपने कार्य की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

यह भी मानते हुए कि हॉल के बाहर किसी ने ज़ोर से उत्तर की घोषणा की या पर्यवेक्षी कर्मचारियों में से किसी ने उत्तर बताया था, श्रोता इस प्रकार सहभागी अपराधी नहीं बन जाते। सहायता प्राप्त करना किसी प्रयास या प्रयास के अनुसरण में एक सचेत और स्वैच्छिक कार्य है। यदि एक परीक्षार्थी द्वारा दूसरे परीक्षार्थी को पर्याप्त जोर से उत्तर सुनाया जाता है तो कोई भी परीक्षार्थी उत्तर सुनने से बच नहीं सकता है।

जिन लोगों ने उत्तर नहीं पूछा, उन्हें विनियम 13(बी) के तहत दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे श्रावण सीमा के भीतर होने के कारण उत्तर सुनने से बच नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति स्वयं को बात करने या किसी अन्य प्रकार से संचार करने से रोक सकता है, क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्य हैं और इच्छानुसार होने में सक्षम हैं। लेकिन यह सुनने की क्रियाओं के लिए सच नहीं है जो सहज और

इसलिए अनैच्छिक हैं। विनियमन में निर्दिष्ट अनुचित साधनों में लिप्त उम्मीदवार को दंडित करने के लिए दोषी दिमाग की परिकल्पना की गई है। विनियमन एक दंडात्मक उपाय है और इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। इस विनियम के तहत किसी ऐसे उम्मीदवार को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती जिसने किसी उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य स्रोत से सहायता प्राप्त की हो। इस प्रकार, मुझे एक कमी नज़र आती है जो विनियमन 13(बी) में अनजाने में एक बचाव का रास्ता और बचने का एक साधन प्रदान करती है, जो किसी अन्य उम्मीदवार से मदद लेने पर दंड देती है, लेकिन पर्यवेक्षी कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति (जो उम्मीदवार नहीं है) से मदद लेने पर नहीं ।

किसी अभ्यर्थी को 'नकल' करते हुए पाए जाने की स्थिति में वह दोषी है, चाहे वह किसी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका से या किसी कागज, पुस्तक या नोट से नकल करता हो, लेकिन 'सहायता प्राप्त करने' के मामले में विनियमन इसे दूसरे उम्मीदवार से सहायता प्राप्त करने तक ही सीमित रखता है। विनियम 13(बी) की भाषा में स्पष्ट हिंसा किए बिना, मैं, मामले के निर्विवाद तथ्यों और परिस्थितियों के सामने, स्थायी समिति के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं कर सकता कि "इस उम्मीदवार ने प्रश्न 1(ए), के अपने उत्तर की नकल कहीं से की है।" इस मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने अपना उत्तर "कॉपी" किया है। उसने शायद उत्तर सुन लिया होगा। यदि वह केवल उत्तर को "सुना" और उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका पर लिख लिया, तो यह "नकल करना" नहीं होगा, बल्कि

"सहायता प्राप्त करना" होगा। सहायता प्राप्त करने का कार्य किसी अन्य उम्मीदवार से सहायता प्राप्त करने तक ही सीमित है। केवल यह सुनकर कि "2" प्रश्न का उत्तर है, जो उम्मीदवार उस उत्तर को लिखते हैं, उन्हें कोई अंक नहीं मिल सकता है यदि उन्होंने आवश्यक चरण छोड़ दिए हैं लेकिन उन्हें विनियम 13(बी) का उल्लंघन करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। संदर्भ में "नकल करना" "सहायता प्राप्त करना" से भिन्न है।

यहां "कॉपी करना" शब्द का अर्थ किसी अन्य पेपर, पुस्तक आदि से प्रतिलिपि बनाना है। इस मामले में "कॉपी करना" का अर्थ किसी अन्य स्रोत से पुन: प्रस्तुत करना है। "नकल करना" शब्द का प्रयोग "अनुकरण करना" या "प्रतिलेखन करना" के अर्थ में भी किया जाता है। इसलिए, वहां एक मूल दिखाया जाना चाहिए जिससे प्रतिलिपि या प्रतिलेखन बनाया या डुप्लिकेट किया गया हो। हालाँकि, यदि प्रतिलिपि सटीक नहीं है या प्रतिलेखन में त्रुटियाँ हैं, तो यह प्रतिलिपि बनाना बंद नहीं करता है। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता उन अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं से नकल नहीं कर सका, जिनका रोल नंबर 150414 और 150415 था, क्योंकि वे परीक्षा हॉल के दूसरे छोर पर कुछ दूरी पर बैठे थे। स्थायी समिति यह नहीं बता पाई है कि उत्तर "2" कहाँ से "कॉपी" किया गया है। यह केवल "कहीं से" कहता है। मामले की परिस्थितियों में, प्रश्न के उत्तर के रूप में अंक "2" लिखना "नक़ल करने" के समान नहीं है, भले ही यह मान लिया जाए कि यह उत्तर सुना

गया था। ऐसा लगता है कि स्थायी समिति ने यह मानकर गलती की है कि उम्मीदवार ने अपना उत्तर "कॉपी" किया था।

पंजाब विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान **करमजीत कौर बनाम पंजाब विश्वविद्यालय**[1] में दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले की ओर आकर्षित किया है, जिसमें एक शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा एक छात्र द्वारा अनुचित उपयोग के प्रश्नों से निपटने के लिए छह सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। मैं उन सिद्धांतों में कही गई बातों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं छह नियमों में से किसी को भी लागू करके स्थायी समिति के निष्कर्ष को उचित नहीं ठहरा सकता। विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कर्ष को बरकरार रखने के लिए इनमें से किसी भी सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।

मेरा ध्यान **हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड और एक अन्य बनाम बगलेश्वर प्रसाद और एक अन्य**[2] मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की ओर भी गया, जिसमें कहा गया था कि अदालतों को शैक्षणिक निकायों जैसे की विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त घरेलू न्यायाधिकरणों के फैसलों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए और अनुच्छेद 226 के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा पारित किए गए विवादित आदेशों की वैधता से निपटने में, उच्च न्यायालय विचाराधीन निर्णय पर अपील में नहीं बैठ रहा है। इसका अधिकार क्षेत्र निस्संदेह सीमित है,

---

[1] 1964 पी.एल.आर. 674.

[2] ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 875.

लेकिन यदि आक्षेपित आदेश किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि क्या संभावनाएँ और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उक्त निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराते हैं।

इस मामले में जो बिंदु सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए आये थे, वे बिंदु समान नहीं हैं। मैं इस आधार पर स्थायी समिति के निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनका निष्कर्ष निरर्थक है, और सबूतों से परे है। मैंने आगे पाया कि कथित कदाचार विनियम 13(बी) के दायरे से बाहर है, जो किसी अन्य उम्मीदवार को छोड़कर कहीं से भी सहायता प्राप्त करने की अनुचित प्रथा तक नहीं पहुंचता है। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को दो साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के अपना उत्तर कहीं से कॉपी करने के निष्कर्ष का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत के अभाव में कार्रवाई की है।

ऊपर बताए गए कारणों से, याचिकाकर्ता सफल होने का हकदार है। इसलिए, मैं याचिका को स्वीकार करता हूं और विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने का निर्देश देता हूं। इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य

के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।